जीवणी बनाम भीमा(2024/14)

आदेश दिनांक–01.02.2024

पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को दिनांक 31.01.2024 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम बाबत कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15.12.2022 को एक तरफा में स्थगन आदेश पारित फरमा दिया फिर भी प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 26.07.2023 को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है लेकिन एक्र वर्ष से अधिक समय के बावजूद प्रार्थना पत्र का अंतिम निस्तारण नही हो पा रहा है एवं आगामी पेशी दिनांक 06.02.2024 नियत कर दी गई है एवं प्रत्येक पेशी पर मात्र मोहर अंकित की जाती रही है, जबकि व्यवहार प्रकिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार मात्र 6 माह में निर्णय किया जाना प्रावधित है। जिससे प्रार्थीगण के पास आदेश दिनांक 15.12.2022 के विरूद्ध अपील प्रस्तुती के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प शेष नही है क्योंकि उक्त स्थगन आदेश की आड में अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी करता है तथा आये दिन बेदखल करने की धमकी देता है तथा प्रार्थीगण भूमि को विकसित करने, ऋण प्राप्त करने एवं अन्य राजकीय लाभों से लगातार वंचित हो रहे है जिससे अपूरणीय क्षति कारित हो रही है, जबकि प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार है। उक्त अपूरणीय क्षति के कारण ही कानूनी सलाह के आधार पर दिनांक 18.12.2023 को माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुती की कानूनी सलाह के आधार पर नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर दिनांक 29.12.2023 को नकल प्राप्त हुई एवं आज कानूनी जानकारी से अन्दर मियाद उक्त अपील सेवा में प्रस्तुत की जा रही है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर अपील प्रस्तुती में हुई उक्त सद्भाविक देरी को न्यायहित में क्षमा कर अपील को अन्दर मियाद शुमार कर गुणावगुण पर निर्णित करने के आदेश प्रदान करें।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम बाबत कथन किया कि अपीलांट अधीनस्थ अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित थे उन्हे उक्त आदेश बाबत जानकारी रही है तथा फिर भी अपीलांट उक्त अंतरिम आदेश के विरूद्ध मियाद बाद अपील पेश कर धारा 5 मियाद अधिनियम बाबत रिलिफ चाहते है जो कि उन्हे नहीं दी जा सकती है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया जावे।

तत्पश्चात अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन में अंकित कथनों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश की आड में अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी एंव बाधा उत्पन्न करता है एवं आये दिन बेदखल करने की धमकीया देता है तथा भूमि को विकसित करने के इरादे से ऋण प्राप्त करने तथा राजकीय लाभों से लगातार वंचित होते चले आ रहे है जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति कारित हो रही है जिससे विद्वान अधीनस्थ न्यायलय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.12.2022 की क्रियान्विति, पालना एवं प्रभाव ताफैसला अपील स्थगित फरमाई जाना न्यायोचित है। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में साबित है। अतः स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ताफैसला अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.12.2022 की क्रियान्विति, पालना एवं प्रभाव को स्थगित फरमाने का आदेश प्रदान करावें।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना पत्र स्थगन बाबत कथन किया कि अपील अन्तरिम आदेश के विरूद्ध पेश की गई है जो कि प्रथम दृष्टया ही पोषणीय नही है तथा भूमि को खुर्द बुर्द एवं संरक्षण हेतु स्थगन आदेश दिया गया है। यदि स्थगन आदेश को निरस्त किया जाता है तो रेस्पोडेन्टगण को अपूरणीय क्षति कारित होगी अतः प्रार्थना पत्र स्थगन निरस्त फरमाया जावे।

सर्वप्रथम प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट के पक्ष में एकतरफा स्थगन आदेश जारी किया है, प्रार्थी द्वारा दिनांक 26.7.2023 को जवाब प्रस्तुत कर दिया गया

1.2.2024

राजस्व ... अजमेर

जीवणी बनाम भीमा

है। लेकिन 212 के प्रार्थना पत्र पर अभी तक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक वर्ष से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद अंतिम निस्तारण नहीं किया है। अगली पेशी दिनांक 6.2.2024 नियत की गई है ऐसी स्थिति में प्रार्थी के पास अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील करने के अलावा कोई चारा शेष नहीं रह जाता है। अपने अभिभाषक से दिनांक 18.12.2023 को राय प्राप्त कर अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त करते हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया दिनांक 29.12.2023 को नकल प्राप्त हुई है। देरी को क्षमा किया जाए अपील को अंदर मियाद शुमार कर गुणावगुण पर निर्णित करने का आदेश दिया जाए।

प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। न्यायालय प्रोसिडिंग 119/2022 प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 उनवानी भीमा बनाम भैरू प्रोसिडिंग दिनांक 15.12.2022 से 18.11.2023 का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15.12.2023 को मौके व रिकार्ड की यथा स्थिति बाबत आदेश दिया गया था। (खसरा नम्बर 2589, 2609) दिनांक 26.7.2023 को अप्रार्थी संख्या 2 से 7 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पाया जाता है। दिनांक 28.11.2023 को अंतिम बार पत्रावली प्रस्तुत हुई है जिसमें अगली तिथि दिनांक 6.2.2024 रखी हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जवाब प्राप्त होने के बाद आदेश 39 नियम 3ए सीपीसी के प्रावधानों के मुताबिक प्रार्थना पत्र का अंतिम निस्तारण नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के पास अपील प्रस्तुत करने के अलावा कोई चारा शेष नहीं है, इसी रोशनी में अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के दौरान अपीलाधीन आदेश की आड में अप्रार्थी प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी व बाधा उत्पन्न करता है तथा स्थगन की वजह से वह राजकीय लाभ से वंचित होता जा रहा है जिस वजह से उसे अपूर्णीय क्षति कारित हो रही है व प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन अपने पक्ष में बताया। अंत में निवेदन किया कि दिनांक 15.12.2022 के आदेश की कियान्विति पालना व प्रभाव को स्थगित रखा जाए।

उभयपक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने बहस में बताया कि रेस्पोडेंट (1) भीमा अधीनस्थ न्यायालय में धारा 88, 53, 188 मय 212 आरटी एक्ट के साथ गया था 212 के प्रार्थनापत्र में इनके पक्ष में दिनांक 15.12.2022 को यथास्थिति बाबत अंतरिम स्थगन आदेश दिया गया था। दिनांक 26.7.2023 को हमारे द्वारा जवाब प्रस्तुत कर दिया गया। 212 के प्रार्थना पत्र का अंतिम निस्तारण अभी तक नहीं किया गया। दावा सिर्फ भीमा पुत्र भैरू द्वारा लाया गया था। भूमि का खातेदार पिता भैरू हैं। भैरू के पत्नि जीवणी तीन बेटिया व दो पुत्र रमजान व भीमा है। भूमि को पुश्तैनी बताकर यह आए थे तथा अपना 1/6 हिस्सा बताया था। दिनांक 15.1.2022 को भैरू द्वारा चमन के पक्ष में पॉवर ऑफ अटोर्नी लिखा गया तथा दिनांक 23.12.2022 को चमन के पक्ष मे विवादित खसरा नम्बर में से एक खसरा 2589 रकबा 0.15 है0 बाबत रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निष्पादित किया गया है। शेष खसरा 2609 सहखातेदारी में बना हुआ है। वाद दायरी के बाद भैरू की मृत्यु हो चुकी है। दावा भैरू के खिलाफ किया गया था भूमि पर हमारा कब्जा है(चमन का)। सीपीसी के तहत 212 के प्रार्थना पत्र निस्तारण 6 माह मे किया जाना आवश्यक है। पिता की मौजूदगी में पुत्र द्वारा बंटवारा मांगा जाना संभव नहीं है इस हेतु उनके द्वारा 2009 आरआरटी वो0 1 राजस्थान हाई कोर्ट पेज 162 का उल्लेख किया साथ ही यह बताया कि पक्षकार मुस्लिम विधि से गवर्न होते है, तथा राजस्थान हाई कोर्ट डीएनजे 1999 पेज 604 न्यायिक दृष्टांत का हवाला दिया।

रेस्पोडेंट अभिभाषक ने बहस में बतया कि भैरू को जफरू से भूमि विरासत के नामांतरकरण से प्राप्त हुई थी रमजान द्वारा चमन के साथ मिलकर पॉवर ऑफ अटोर्नी चमन को दिलवाई गई है। भूमि के बिकाव की आशंका में बिकाव को रोकने हेतु उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में गए थे हमने हिन्दू/मुस्लिम बाबत दावे में कथन नहीं किए है हमने भूमि को पैतृक बताया है विवादित भूमि को सुरक्षित रखने हेतु एसडीओं का निर्णय सही है। दिनांक 15.12.2022 के बाद चमन के पक्ष में रजिस्ट्री हुई है अपील में शपथ पत्र सिर्फ चमन का है चुनाव की वजह से अपील में 212 के प्रार्थना पत्र पर निर्णय नहीं हो पाया अब दिनांक 6.2.2024 को पेशी है।

1.2.2024
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

जीवणी बनाम भीमा

रिबूटल में वकील अपीलांट ने बताया कि भैरू की मृत्यु होने से दावा प्रभावहीन हो चुका है।

बहस बिंदुओं पर मनन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया गया। वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत अब्दुलवासी बनाम अब्दुल कादिर आरआरटी 2009 वो0 1 पेज 162 जो निम्नानुसार है– सिविल प्रकिया संहिता, 1908 आदेश 39 नियम 4 विचारण न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश को-वेकेट किया वादी के पक्ष में आवश्यक तत्व नहीं पाए गए विवादित सम्पत्ति वादी के दादा की थी और उसका पिता जीवित है पिता की मौजूदगी में बंटवारा का दावा करने का अधिकार नहीं है–माता के पक्ष में संपत्ति का दान विलेख निष्पादन करने का अभिवाक् लेकिन न तो असल दान विलेख पेश किया न माता ने वाद पेश किया निर्णित वाद पोषणीय नहीं है व विचारण न्यायालय ने न्यायसंगत तथा ठोस कारण दिए है–आदेश यथावत रखा। छोटूखान एवं अन्य बनाम बरक्त एवं अन्य डीएनजे राजस्थान 1999 पेज 604 इस प्रकार है– सिविल प्रकिया संहिता 1908 आदेश 39 नियम 1 एवं 2 तथा धारा 115 अस्थाई व्यादेश प्रदान करने हेतु विचारण न्यायधीश ने आवेदन खारिज किया सम्पत्ति पर संयुक्त आधिपत्य का अभिवाक् अपीलीय नययालय ने अस्थाई व्यादेश प्रदान किया एवं प्रतिवादीगण को पाबंद किया पक्षकार मुसलमान है एवं मुसलमान विधि से ही शासित होते है संयुक्त परिवार एवं कुटुम्बीय व्यवस्था का सिद्धांत सहदायों के बीच लागू नहीं होता है संयुक्त स्वामित्व नहीं वादी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला नही परिसर में निर्माण काग्र करने से प्रतिवदीगण को पाबंद करना न्यायोचित नहीं है एवं आदशे अपास्त किए जाने योग्य है एवं विचारण न्यायालय के आदेश की पुष्टि की गई।

अधीनस्थ न्यायालय में दावा दायरी के दिन भैरू जीवित था तब उसकी मृत्यु होना बताया हैं। बहस बिंदुओं के दौरान यह जानकारी आई है कि स्थगन आदेश के बाद भूमि का विकय किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित भूमि पर मौके व रिकार्ड की यथास्थिति का आदेश दिया गया था। अपीलांट पक्ष द्वारा जवाब प्रस्तुत कर दिए जाने के पश्चात 212 के प्रार्थना पत्र का निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है। अगली तिथि दिनांक 6.2.2024 तय की हुई हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भीमा का पक्ष सुनकर यथास्थिति का आदेश दिया हुआ है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत राजस्थान डीएनजे 1999 पेज 606 का न्यायिक दृष्टांत चस्पा नहीं होता है जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा 212 का प्रार्थना पत्र खारिज किया था और भूमि पर निर्माण संबंधित कार्य को रोके जाने से संबधित था वर्तमान प्रकरण में ऐसा नहीं है। अपीलांट अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2009 वो0 1 पेज 162 का न्यायिक दृष्टांत वर्तमान प्रकरण पर लागू नहीं होता है। उक्त प्रकरण में माता के पक्ष में संपत्ति का दान विलेख निष्पादन करने बाबत कथन था लेकिन न तो असल दान विलेख पेश किया गया न माता ने वाद पेश किया। अपीलाधीन प्रकरण की स्थिति अलग है पिता जीवित नहीं है भूमि दादा के नाम थी। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दोनों न्यायिक दृष्टांत वर्तमान प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं। इस स्टेज पर न्यायालय का यह मानना है चूंकि अधीनस्थ न्यायालय में अगली पेशी दिनांक 6.2.2024 तय की हुई है, अंतरिम स्थगन आदेश के बाद भूमि चमन द्वारा कय की गई है, विवादित भूमि की सुरक्षा भी की जानी है अतः अपीलाधीन आदेश को यथावत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि आगामी तीन सप्ताह में प्रकरण में सभी पक्षों को सुनकर गुणावगुण पर 212 के प्रार्थना पत्र का अंतिम निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

1.2.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर